HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17134/2026
CNR: RJHC021045712026 | URN: CRLMB / 31582U / 2026

1. Vasid S/o Sapat, R/o Banban, Police Station Bhiwadi Phase Trithia, District Khairthal Tijara, Rajasthan (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas)
2. Saruf @ Shahrukh S/o Rajjak, R/o Banban, Police Station Bhiwadi Phase Trithia, District Khairthal Tijara, Rajasthan (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas)
3. Najim S/o Amin Khan, R/o Banban, Police Station Bhiwadi Phase Trithia, District Khairthal Tijara, Rajasthan (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas)

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manjeet Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना भिवाड़ी फेज–तृतीय, जिला–भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 263/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 10 लोगों के विरूद्ध मारपीट कर आहत को चोटें कारित करने का आक्षेप है। प्रकरण में आहत को जो चोटें कारित हुई हैं, उनमें से दो चोटें अस्थिभंग की होना

बताया गया है, वे मार्मिक भाग पर कारित नहीं हुई हैं। प्रकरण में प्रार्थी शाहरूख से लाठी बरामद हुई है, जबकि प्रकरण में मारपीट घातक हथियार से करना बताया है। प्रार्थी–अभियुक्तगण वासिद व शाहरूख दिनांक 30.09.2026 से तथा प्रार्थी नाजिम दिनांक 04.10.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी शाहरूख के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है और प्रार्थीगण वासिद व नाजिम के विरूद्ध पूर्व का एक–एक आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रकरण में आरोपपत्र किता किया जा चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण ने घात लगाकर हथियारों से आहत के साथ मारपीट की है। आहत के दो चोटें अस्थिभंग की तथा अन्य साधारण चोटें कारित हुई हैं। प्रार्थी शाहरूख से डण्डे की बरामदगी हुई है। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्तगण पर कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। घटना में आहत को जो दो चोटें अस्थिभंग की कारित होना बताया गया है, वे मार्मिक भाग पर कारित नहीं हुई हैं, बलिक हाथ–पैर पर हैं। प्रार्थी–अभियुक्त शाहरूख से लाठी बरामद हुई है। अन्य अभियुक्त वासिद व नाजिम से कोई बरामदगी नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी–अभियुक्तगण वासिद व शाहरूख दिनांक 30.09.2026 से तथा प्रार्थी नाजिम दिनांक 04.10.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी शाहरूख के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है और प्रार्थीगण वासिद व नाजिम के विरूद्ध पूर्व का एक–एक आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रकरण में आरोपपत्र किता किया जा चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि वे भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे,

स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

71/VISHAL SHARMA